कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

क्रं0 114

भोपाल दि0 21/06/12

:: सार्वजनिक सूचना ::

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भोपाल द्वारा रानी अवंती बाई ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट्स एवं मैकेनिकों को व्यवस्थापित किया जाने के लिए शासन से प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत 334 ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एवं 248 मैकेनिक व्यवसायियों को प्लाट आवंटन किया गया है। आवंटन की शर्तों के अनुसार संबंधितों द्वारा 05 माह के भीतर राशि जमा कराई जाकर लीजडीड का पंजीयन एवं अनुबंध की शर्त क्र 21 के अनुसार आवंटन के 01 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने और इस अवधि में पूर्व स्थल पर केवल कार्यालय संचालित करने का प्रावधान है। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एवं मैकेनिक व्यवसायियों से अनेकों बार बैठक में अवगत कराया जा चुका है एवं नियत समय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अतिरिक्त समय दिया जा चुका है, परन्तु उसके पश्चात भी अभी तक 457 आवंटितियों द्वारा भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, जोकि लीज की शर्तों का स्पष्टतः उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त संबंध में ट्रांसपोर्ट एवं मैकेनिक व्यवसायियों के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक दि0 19.04.2012 को विस्तृत चर्चा कर उन्हें दि0 30.04.2012 तक का अंतिम रूप से सभी आवंटितियों को अवसर दिया गया है, जिसमें उन्हें नियत समय अवधि से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। ऐसे आवंटिती जो नियत समय अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके विरूद्व उन्हे बंटित प्लाट आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही विधिवत की जावेगी, जिसके समस्त परिणामों का उत्तरदायित्व संबंधित का होगा।

आयुक्त
नगर निगम, भोपाल